

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

निर्मला देवी

बनाम महेश

धारा 53 वाद / प्रा0प0 / अपील

22/11 प्र0सं0

/ 15

21.4.18

बाद जाँच वाद / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना बुलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 15.6.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

29.5.18 पत्रावली कोर्ट के माध्यम से शब्दाद पर पेश। वादी या तवादी के उपस्थित होकर राजीनामा पत्र पेश कर विवेक विद्या गण वि. समझौता पत्र अनुसार राजरव रेवार्ड में नाम श्याम नाथोड पास के आ. नं 735, 736 से पूर्व दिशा आ. नं 74) की तरफ निर्मला देवी व पश्चिम दिशा आ. नं 72) शस्ते की तरफ महेश के राजरव रेवार्ड में अलग अलग हक्क हिससे अनुसार कर दिया जावे।

निर्मला देवी

Mahesh

सुमपपत्रवा राजीनामा स्वीकार करते हुये आदेश दिया जाता है कि श्याम नाथोड पास के आ. नं 735, 736 शब्दाद उलीछा की हक्क हिससानुसार उक्त आराजिकत से पूर्व दिशा से नाथोड की तरफ वादिता एवं पश्चिम दिशा आ. नं 72) शस्ते की तरफ या तवादी के आ. नं 735, 736 रेवार्ड में नाम हक्क हिससानुसार अलग अलग नाम राजरव रेवार्ड में दर्ज कर / दिव्य जारी हो।

आज्ञापिकांक 29.5.2018 के माध्यम कोर्ट से शब्दाद से अलग अलग श्याम नाथोड पास / पत्रावली पर शब्दाद होकर नाम कर से नाम दे।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ

मूल बाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ़
ज.प्र.प.कॉटे श्वराबाद

पीठासीन अधिकारी:- रामावतार, आर0ए0एस0

1- श्रीमति सिमला देवी पत्नी कलाराचन्द जैश
बाहमण भीलवाडा लादिया

2- श्री महेश पिता रामप्रसाद सादी ^{उनवान} भीलवाडा

दावा बाबत..... 53 17.07.81

मुकदमा नम्बर :- 22/17

निर्णय दिनांक :- 29.5.17

वादी की ओर से 29 को व प्रतिवादी की ओर से 39 की
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.5.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी) रामावतार,
आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी
जाती है कि-

ग्राम नाथडियास के आ.न 735, 736
श्वराबा 03 कोटा का हवा, हिस्सा नुसार कुवल
आशाजियात में पूर्व दिशा आ.न 101 की तरफ,
लादिया एवं पश्चिम में दिशा आ.न 72 शस्ती
की तरफ, के अनुसार शाहूरव रेकार्ड में
अनलग-अलग नाम हिस्सा नुसार रेकार्ड में
दर्ज करें

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.5.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की
मुद्रा लगाकर दी गई।

पीठासीन अधिकारी
लोक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
उपखण्ड सहायक कलक्टर हमीरगढ़
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़